



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निम्न-२०१६-१-१६

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-विदिशा

देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री दलीपसिंह,
निवासी ग्राम ढोलखेडी, तहसील व
जिला विदिशा, वर्तमान निवास- एच.
आई.जी.80, इन्द्रा कॉम्प्लेक्स, विदिशा
(म.प्र.) -- आवेदक

श्री देवेन्द्रसिंह सिंह

द्वारा आज दि. ३०-६-१६ को

प्रस्तुत

Me 30-6-16

कैलंग ऑफ काट
राजस्व मण्डल मप्र ग्वालियर

विरुद्ध

- (1) बद्री प्रसाद
- (2) लक्ष्मण सिंह
- (3) प्रकाशचन्द्र सभी पुत्रगण स्व. बिहारी
लाल, समस्त निवासीगण ग्राम पड़रिया,
तहसील गैरवगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)
- (4) बलवन्त सिंह पुत्र श्री दलीपसिंह पटेल
निवासी ग्राम ढोलखेडी कौलोनी,, हाल
निवास एच.आई.जी., डी.एस. कटारा
हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

Dehati
30/6/16

न्यायालय तहसीलदार, तहसील विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 55/
अ-२७/२०१५-१६ में पारित समस्त आदेश पत्रिकाओं के विरुद्ध^{भू-}राजस्व संहिता की धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 के
अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान
हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहांकि, आवेदक के पिता स्वर्गीय दलीपसिंह के नाम ग्राम ढोलखेडी, तहसील व जिला विदिशा में स्थित भूमि आराजी क्रमांक 71 रक्वा 5 बीघा, 7 विस्वा, आराजी क्रमांक 75, रक्वा 34 बीघा 3 विस्वा, आराजी क्रमांक 125, रक्वा 9 बीघा, 16 विस्वा, आराजी क्रमांक 168 रक्वा 11 विस्वा, आराजी क्रमांक 180, रक्वा 19 बीघा, आराजी क्रमांक 237 रक्वा 10 विस्वा, आराजी क्रमांक 408, रक्वा 5 विस्वा, आराजी क्रमांक 414, रक्वा 1 बीघा, 12 विस्वा, आराजी क्रमांक 416 रक्वा 20 बीघा, आराजी क्रमांक 417, रक्वा 17 बीघा, 1 विस्वा, आराजी क्रमांक 419 रक्वा 0 विस्वा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2107-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-19	<p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">~</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	